न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 28/21

GCMS NO 2021/46

घनश्याम पुत्र जगनलाल जाति मीना निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र जगन्या जाति मीना निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. भैरू पुत्र हरदेवा जाति मीना
3. पप्पू पुत्र रामकल्याण जाति मीना
4. फोर सिह पुत्र रामकल्याण जाति मीना निवासीयान ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 10/20 निर्णय दिनांक 30.3.21 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री रामस्वरूप साहू

अभिभाषक रैस्पो0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

दिनांक 9.6.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.3.21 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 543,547,548,549,553/6551,552 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील सवाई माधोपुर मे स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी मे आने जाने का एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी मे होकर कदीमी समय से बना हुआ है। परन्तु रेवेन्यू रिकार्ड मे रास्ता दर्ज नही है। रास्ते की चौडाई मौके पर 12 फीट है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी पर आने जाने के लिए कच्चा आम रास्ता जो श्यामपुरा से भूरी पहाडी निकलता है सर्वप्रथम ख0न0 579 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम श्यामपुरा मे होकर गुजरना पडता है। जिसकी खातेदारी का रिकार्ड अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इसके बाद ख0न0 578/6425 रकबा 0.18 है0 जो कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। जिसमे होकर रास्ता निकालने मे प्रार्थी की पूर्ण सहमति है इसके बाद ख0न0 578 रकबा 0.17 है0 मे से गुजरना पडता है जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है इसके बाद ख0न0 568 रकबा 0.13 है0 होकर निकलना पडता है। जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 हिस्सा 1/3, अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 हिस्सा 1/3 एवं प्रार्थी का हिस्सा 1/3 है। जिसका रेवेन्यू रिकार्ड मे बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नही हुआ है। जिसमे रास्ता निकालने मे प्रार्थी की पूर्ण सहमति है इसके बाद ख0न0 560 रकबा 0.46 है0 मे होकर निकलना पडता है। जिसके खातेदार क्रमश अप्रार्थी संख्या 1 हिस्सा 1/2 एवं अप्रार्थी संख्या 6 व 7 हिस्सा 1/2 वाके ग्राम श्यामपुरा है। जिसका रेवेन्यू रिकार्ड मे बंटवारा नही हुआ है। दिनांक 4.6.20 को अप्रार्थी द्वारा हमेशा से कदीमी रास्ते को बंद करने की गजर से तारबंदी की जा रही थी तो प्रार्थी ने उनसे मना किया तो वह झगडा करने पर आमादा हो गये। इस कारण प्रार्थी को अपने खेतो पर आने जाने से वंचित होना पड रहा है। अतः राजस्व ग्राम श्यामपुरा मे स्थित आराजी ख0न0 579,578/6426,578,568 एवं 560 कुल किता 5 मय ट्रेस शीट मे होकर जो रास्ता कदीमी समय से है जिसकी नजरी नक्शे के अनुसार मौके पर बने हुए रास्ते की मौका रिपोर्ट तहसीलदार से तलब की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त ख0न0 एवं नजरी ट्रेस मे दर्शाये गये रास्ते की तरमीम हाल ट्रेस मे की जाकर राजस्व जमाबंदी मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते के उपयोग मे आने वाली भूमि की वर्तमान डी एल सी दर से राशि जमा कराने का तैयार है। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्याायलय का निर्णय विधि विरूद्व मनमाना एवं तथ्यो के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा खसरा न0 543,547,552,548,541,553/6551 वाके ग्राम श्यामपुरा पर जाने हेतु आवेदन किया था । उक्त प्रकरण मे बिना आदेश पारित किये ही दिनांक 7.7.20 को मौका रिपोर्ट पेश हो गई। जिस पर अपीलांट ने दिनांक 16.7.20 को आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथित रिपोर्ट बिना पक्षकारान की मौजूदगी व बिना बैकल्पिक मार्ग उल्लेख सहित मौका रिपोर्ट पेश हुई है जिसे निरस्त फरमाई जावे। इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 19.8.20 को यह आदेश पारित किया कि पुनः उभयपक्षो की मौजूदगी मे तंथ्यात्मक रिपोर्ट नवीन फोरमेट मे तैयार कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे। जिस पर पुनः दिनांक 21.9.20 को मौका रिपोर्ट पेश हुई। जिसकी सूचना या नोटिस अपीलांट को नही दिया गया अपीलांट तथा विपक्षी भैरू,पप्पू,फोरसिह पक्षकारान की बिना उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर दी गई। जिसकी आपत्ति अपीलांट द्वारा दिनांक 7.12.20 को पेश की गई जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने रूप से अस्वीकार किया गया। जबकि कथित रिपोर्ट मे मौके पर कथित रास्ता नही होना पाया गया। दिनांक 21.9.20 की रिपोर्ट मे प्रार्थी रेस्पो0 का कथित खेतो से आना जाना बताया गया है तथा यह रास्ता 500 मीटर से भी ज्यादा दूरी होना बताया है, जबकि इन खेतो पर जाने के लिए खसरा न0 538 के पास होकर मात्र 50 मीटर की दूरी पर रास्ता सुगम है। जबकि इसके अलावा दूसरा रास्ता ख0न0 324,364,365 के सहारे होकर प्रार्थी रेस्पो0 के कथित खेतो तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जाता है जो मात्र 200 मीटर दूर है। लेकिन प्रार्थी रेस्पो0 न0 1 ने पटवार हल्का व गिरदावर से साज कर उक्त दोनो रास्तो को मौका रिपोर्ट मे नही दर्शाया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने भी मनमाने तरीके से प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश प्रदान किया है जो विधि के विपरीत है। जिसकी जानकारी अधिनस्थ न्यायालय को पूर्ण रूप से थी। इसके बावजूद भी ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण नही किया गया जिस हेतु अपीलांट की और से प्रस्तुत साईटेशन आर आर डी 2019 पेज संख्या 425 माननीय उच्च न्यायालय की पेश की थी। जिसमे स्पष्ट उल्लेख है कि उप जिला कलैक्टर द्वारा मौका देखा जाना चाहिए। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस साईटेशनको नजर अंदाज कर यह आपत्ति प्रार्थना पत्र निरस्त कर विधि विपरीत तरीके से यह निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारो को अपने प्रार्थना पत्र मे बतौर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 दर्ज कर प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमे अप्रार्थी न0 2 ता 4 की और से वकील उपस्थित हुए तथा उन्होने जबाब पेश किया लेकिन भरतलाल,चरतलाल,मुस्स0 सरस्वती की और से पेश हुए वकालतनामा का जबाब मु. सरस्वती की और से फर्जी अगूठा निशानी लगाकर पेश की जिसकी आपत्ति अपीलांट के द्वारा दिनांक 21.7.20 को प्रस्तुत की गई। आपत्ति पेश होने पर वकील मुकेश बंसल द्वारा जबाब व शपथ पत्र भी पेश किया गया लेकिन प्रार्थी रामस्वरूप,भरतलाल,चरतलाल ने मिलकर यह फर्जकारी की थी जिसके कारण प्रार्थी रेस्पो0 न0 1 ने दिनांक 2.9.20 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया वह इस प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी न0 2 ता 4 के विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहता इसलिए इनका नाम हजफ किया जावे। इस प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी कर कानून की अनदेखी कर आवश्यक पक्षकार 2 ता 4 का नाम दिनांक 29.1.21 को हजफ कर दिया। जो इस प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार थे जिनके बिना यह प्रार्थना पत्र कतई चलने योग्य नही था। उपरोक्त आदेश दिनांक 29.1.21 के बाद अपीलांट द्वारा जबाब पेश किया गया। जिसमे सभी तथ्यो को नकारते हुए विस्तृत वर्णन के साथ ज़बाब पेश किया। जिसमे बैकल्पिक रास्ते के बाबत इन्द्राज किया गया है व इस प्रार्थना पत्र मे खातेदारान भरतलाल,चरतलाल व सरस्वती के पक्षकार होते हुए भी उनका नाम हजफ कर न्याय के विपरीत कार्य किया है। इसके पश्चात यह प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नही था तथा इसके जबाब व सहमति निरर्थक है इसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे कानून के विपरीत जाकर पढा गया व आवश्यक पक्षकारान के अभाव मे अपना यह निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 न0 1 कथित रास्ते से कभी आता जाता नही रहा है न ही कदीमी रूप से यहॉ से रास्ता बना हुआ है यदि कदीमी रूप से रास्ता बना होता तो प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे रास्ता जरूर दर्शाया होता मात्र खेतो मे होकर जाना बताया है। जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर रहा ही नही है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से यह निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि रेस्पो/प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 543,547,548,549,553/6551,552 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील सवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

माधोपुर मे स्थित है। रेस्पो/प्रार्थी की खातेदारी मे आने जाने का एक मात्र रास्ता अपीलांट व अप्रार्थीगण 2 लगायत 7 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी मे होकर कदीमी समय से बना हुआ है। परन्तु रेवेन्यू रिकार्ड मे रास्ता दर्ज नही है। रास्ते की चौडाई मौके पर 12 फीट है। रेस्पो/प्रार्थी की उक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी पर आने जाने के लिए कच्चा आम रास्ता जो श्यामपुरा से भूरी पहाडी निकलता है सर्वप्रथम ख0न0 579 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम श्यामपुरा मे होकर गुजरना पडता है। जिसकी खातेदारी का रिकार्ड अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इसके बाद ख0न0 578/6425 रकबा 0.18 है0 जो कि रेस्पो0/प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। जिसमे होकर रास्ता निकालने मे रेस्पो/प्रार्थी की पूर्ण सहमति है इसके बाद ख0न0 578 रकबा 0.17 है0 मे से गुजरना पडता है जो अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तहसीलदार से रास्ते के बाबत मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर प्राप्त मौका रिपोर्ट मे प्रार्थी/रेस्पो0 की खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही होने का अंकन होने एवं अपीलांट के अलावा अन्य खातेदार भैरू पुत्र हरदेवा की खातेदारी की आराजी ख0न0 560 रकबा 0.46 है0 मे से 0.0128 है0 भूमि को रास्ते के लिए तथा प्रार्थी/रेस्पो0 की अन्य आराजीयात ख0न0 578/6426,567,568 मे से रास्ता विधिवत रूप से गैर मुमकिन रास्ता प्रदान किया है जिसमे प्रार्थी/रेस्पो0 की आराजीयात रास्ते मे काम आने वाली भूमि का भी कोई मुआवजा प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्राप्त नही किया गया है क्योकि इसके बाबत प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा सहमति प्रदान की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत निहित प्रावधानो के तहत ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे मौके पर रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा न0 543,547,548,549,553/6551,552 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील सवाई माधोपुर मे आने जाने हेतु कोई बैकल्पिक रास्ता मौजूद नही होने के कारण अपीलांट व अन्य खातेदारो की भूमि एवं स्वयं की खातेदारी मे से रास्ता धारा 251 (क) के प्रावधानो के तहत प्रदान करने हेतु प्रार्थना की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तहसीलदार सवाई माधोपुर से मौका रिपोर्ट की गई। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट मे प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर अन्य कोई बैकल्पिक रास्ता पूर्व से नही होना अंकित किया है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनःमौका रिपोर्ट तलब की गई। परन्तु अपीलांट द्वारा पुनः [illegible] मौका रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने के कारण उनकी आपत्ति को निरस्त किया गया है। [illegible]क अपीलांट द्वारा बार बार आपत्ति प्रस्तुत कर प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से [illegible] अपीलांट का कथन रहा कि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 बनाये गये थे। जिनको रेस्पो/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना [illegible] से उनका नाम हजफ किया गया है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55.54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

विधि के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी/रेस्पो0 को अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की भूमि मे से रास्ता 12 फीट दिये जाने की सहमति अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने के कारण ही प्रार्थना पत्र से उनका नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये गये है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 द्वारा भी अपनी सहमति रास्ता प्रदान किये जाने के बाबत दी गई है। चूकिः अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी की आराजी ख0न0 560 रकबा 0.46 है0 मे से कुछ भूमि 0.0128 है0 रास्ते हेतु काम आना तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट मे अंकित किये जाने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी भूमि मे से रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये गये है। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना मे रास्ता कायम हो चुका है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे भी हो चुका है। चूकिः रास्ता अत्यधिक आवश्यकता है जो किसी जोतधारक को उसकी भूमि पर पहुॅच के लिए आवश्यक है। बिना रास्ते के भूमिधारक को भूमि मे काश्त करने से वंचित होना पडता है। रास्ता सार्वजनिक हित मे काम आता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से धारा 251 (क) के तहत निहित प्रावधानो के अन्तर्गत ही रास्ता प्रदान किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 10/20 मे पारित निर्णय दिनांक 30.3.21 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:54 IST
Reason: SelfAttested